

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0(अ0उ0)4515-01- 97/2025 पार्ट-I 26/7 /पटना, दिनांक-21/7/2025
प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के सामान्य घटक के अधीन कुल 06 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ-7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रू0 307.301 लाख रुपये मात्र है, पर (कुल 06 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के सामान्य घटक के अधीन कुल 06 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0-5 करोड़ की है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 में अंकित कुल राशि 307.301 लाख मात्र है पर योजनावार घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

क्रम सं०	जिला	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड	योजना का नाम	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Katihar	Katihar	Korha	L038 PWD Road Torampur	3.312	199.15500
2	Sheohar	Sheohar	Piprahi	RWD Road Piprahi Jila Parishad Market Complex se Block Office Piprahi hote huye To SH 54 Tak	0.220	8.00100
3	Sheohar	Sheohar	Sheohar	Sheohar Bishanpurmaan Police Line se Lachka Pul hote huye to SH 54 Police Check Post tak	0.520	19.24900
4	Bhojpur	Ara	Barhara	Bakhorapur PWD Road To Buniyadi School (Bakhorapur)	0.300	19.75900
5	Kaimur	Mohania	Mohania	Constructioni of Approach Road for Helipad and link road of Bharkhar Village	0.600	32.29800
6	Bhojpur	Jagdishpur	Jagdishpur	Harigaon Dulhinganj Road To Harigaon Shiv Mandir Via Shivsagar Ramgulum Vidyalay	0.844	28.83900
				TOTAL	5.796	307.301

2. मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -103-सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष -0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष 4515-00-103-0121 के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। प्रस्तावित कुल 06 योजनाओं के योजनावार घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाने वाली कुल राशि रू0 307.301 लाख निर्धारित Bank Of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अधीन है।

✍



3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01- 97/2025 पार्ट-I, दिनांक 29.05.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01- 97/2025 पार्ट-I में दिनांक 04.07.2025 को प्राप्त है।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

✍



17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ०(अ०उ०)4515-01- 97 / 2025 पार्ट-I के पृ०-24 / टि० पर दिनांक-15.07.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु०अ०(अ०उ०)4515-01- 97 / 2025 पार्ट-I 2677 / पटना, दिनांक- 21/07/2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु०अ०(अ०उ०)4515-01- 97 / 2025 पार्ट-I 2677 / पटना, दिनांक- 21/07/2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

